6.1.22

पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीकैन उपस्थित। बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण ने कथन किया है कि वाके ग्राम घरडाना कलां स्थित गत खसरा नम्बर 9 बीघा 5 बिस्वा का खातेदार काश्तकार उपरोक्त जो प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी दर्ज रेकार्ड है। ख०नं० 115 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा का खातेदार भी उपरोक्त ही है। गत ख०नं० 113 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा, ख०नं० 110 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा, ख०नं० 112 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा का खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण 7 लगायत 14 एवं अप्रार्थी 6.7 लगायत 13 के पूर्वाधिकारी श्री [illegible] पुत्र मुवाफिक दर्ज रेकार्ड है। ख०नं० 109 में अप्रार्थी 6. 136 [illegible] मकान बनाकर आबाद है [illegible] उपरोक्त [illegible] भवन बना रखा है। प्रार्थीगण की

उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:38:29 IST
Reason: SelfAttested

मु० नं० 53/21 दुलीचंद V/S अमीलाल आदि

| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| | खातेदारी भूमि गत खसरा नम्बर 109 व 110 के मध्य से कभी भी कोई रास्ता या पगडण्डी ना तो पहले कभी रही ना ही अब है ना ही राजस्व रिकार्ड में कोई पगडण्डी पहले कभी दर्ज थी। हाल बन्दोबस्त सन् 1979-80 में बन्दोबस्त विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों ने गलत रूप से प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 285 व 287 की सीमा पर से पगडण्डी डोटेड लाईन (----) के निशान नक्शे में दर्ज कर दिये जबकि उक्त दोनों खसरा नम्बरों के मध्य से ना तो कोई पगडण्डी मौके पर है ना ही पहले कभी थी। अब उक्त पगडण्डी को आधार बना कर तहसीलदार बुहाना दूसरे लोगों के नाजायज असर से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में रास्ता कायम करना चाहता है। जिससे प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित हो रही है। जबरन रास्ता कायम करने की धमकी दे रहे है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीगण की भूमि वाके ग्राम बरडाना कलां स्थित ख०नं. 285 व 287 के मध्य से कोई रास्ता या पगडण्डी कायम न करे न ही किसी [illegible] अप्रार्थी [illegible] की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि मौके पर वर्षों पूर्व पूर्वजों की स्मृति में भवन, छत्तरी का निर्माण कराना स्वीकार नहीं है जबकि ख०नं० 285 के उत्तरी पश्चिमी कोने पर ख०नं० 285 | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:38:29 IST
Reason: SelfAttested

मु० नं० 532/21 प्रतीचंद आदि पास मनीलाल

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मय इनिशियल्स जज | नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी हुए |
|---|---|---|
| | व 287 के मेंड प्रार्थीगण । लगायत 6 के द्वारा रास्ता रोकने की नियत से तिबारा (बरामदा) बनाया गया है। यह निर्माण दोनो खेतो की सीमा में आता है। वादग्रस्त भूमि में एक कदीमी रास्ता दर्ज है। जिससे ग्रामवासी कदीम से आवागमन करते है। भूमि की दोनो सीमाओ के सहारे-सहारे बन्दोबस्त विभाग ने कदीमी पुरानी प्रचलित रास्तो के आधार पर रास्ता कायम किये थे। जो मौके व राजस्व रिकार्ड में कायम है। वादग्रस्त भूमि बन्दोबस्त विभाग ने जो नक्शा बनाया उस समय मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि में प्रचलित रास्ते देखकर तथा ग्रामवासियो के आवागमन को देखते हुए जैसा गत नक्शा में रास्ता था उसी के आधार पर रास्ता कायम किया है। जो स्थाई कायम हो चुका है। यह पगडण्डी हाल सड़क रोड़ धरड़ाना कलां से सुलताना से पश्चिम में जाती है। जिसे बन्दोबस्त विभाग ने सही नक्शे में दर्शाया गया है। यह रास्ता बणी को जाता है। बणी लगभग 1955 की बनी हुई है। जिससे लोग वर्षो से आवागमन करते है। तहसीलदार (अप्रार्थी सं. 20व21) ने कोई नया रास्ता कायम नही किया गया है। किसी प्रकार की कोई नमरी ... मौके पर अपरोक्त प्रचलित ... में अंकित है। दोनो खसरा ... तथा प्रार्थीगण के हक व स्वामित्व पर कोई प्रभाव नही पड़ता है। जबकि उक्त रास्ता बन्द होने से बणी के लोगो | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:38:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

मु०नं. 532/21 दुलीचंद आदि V/S अभीलाल आदि

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| | परेशान होंगे। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।<br><br>बहस उभय पक्षकारान की विस्तार से सुनी गई। पत्रावली व संलग्न राजस्व अभिलेख नक्शा ट्रेस एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण के अवलोकन से न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार रहा है कि —<br><br>(1) पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख ट्रेस के अवलोकन से जाहिर विवादित भूमि में वर्तमान में रास्ता विद्यमान है। इस रास्ते पर प्रार्थीगण द्वारा अवैध कब्जा करने पर तहसीलदार द्वारा खुलवाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा मे बयान के रास्ते पर अतिक्रमण किया जाकर रास्ते को अवरुद्ध कर रखा है।<br><br>(2) पीठासीन अधिकारी द्वारा बरवक्त मौका निरीक्षण दिनांक 22.12.21 से स्पष्ट है कि ख०नं. 285 के उत्तरी कोने पश्चिमी कोने पर ख०नं. 285 व 286 की मेंड प्रार्थीगण 1 से 6 के द्वारा रास्ता रोकने की नियत से एक [illegible] स्मृति भवन निर्माण किया [illegible] नक्शे के अनुसार [illegible] द्वारा नक्शा बनाकर [illegible] प्रभावित रास्ता को देखकर तथा ग्रामवासियों के आवागमन को ध्यान में रख कर बनाया गया। नक्शा में डोटेड (===)<br><br>उपखण्ड अधिकारी, [illegible] | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:38:29 IST
Reason: SelfAttested

FORM NO.III

# फर्द अहकाम

(नियम-28)

जज अदालत SDO मुकाम कुड़ाना

दुर्गाचंद आदि बनाम भगीलाल आदि

किस्म मुकदमा 532/21 मुकदमा नम्बर (?) 212 RTA

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | कायम कर रास्ता जायज किया है। मौके पर रास्ता चालू (पगडण्डी के रूप में) है। राजस्व नक्शे में रास्ता अंकित है। उक्त रास्ते से दोनों ख०नं० के मध्य में रहा प्रार्थीगण के हक व स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि रास्ता बन्द होने से काफी के निवासी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इससे जाहिर है कि प्रार्थीगण द्वारा कपन के रास्ते पर अतिक्रमण करके अवरुद्ध कर रखा है। जिसे खुलवाया जाना उचित होगा।<br><br>③ न्यायालय के आदेश दिनांक 16-11-21 के प्रार्थीगण को O 39 R 3 CPC की पालना करने के लिये आदेशित किया गया। जिसकी पालना प्रार्थीगण द्वारा आदिनांक तक नहीं की गई।<br><br>③ प्रार्थीगण ने [illegible] में अन्य प्रकार [illegible] प्रार्थी ([illegible] 2) को शामिल [illegible] करते दिनांक 16-11-21 को गठित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में जानबूझकर मिसलिडिंग करते हुए<br><br>उपखण्ड अधिकारी, कुड़ाना |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:38:29 IST
Reason: SelfAttested

मु०न० 532/21 दुलीचंद आदि V/S अनीलाल आदि

| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| | राज्य सरकार खिलाफ अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाली गई। जबकि राज्य सरकार को 80(2) CPC का नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। इस प्रकार आदेश 39 नियम 4 CPC के अनुसार यदि ऐसा कोई निर्णय किया जाता है तो उसे निर्णय से पक्षकार को अनमोचित किया जाना सम्भव है। अतः अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 CPC में प्रदत्त प्रावधानों से न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रश्नगत आदेश बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में अन्य अप्रार्थीगण के साथ अप्रार्थी सं. 20 व 21 (राज्य सरकार) के विरुद्ध जारी किया गया को अपास्त किया जाना न्यायोचित पाता है। ऐसी सूरत में न्यायालय अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं पाता है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीनो ही बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय हानि प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाये जाते हैं जबकि अप्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाते हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय प्रार्थीगण का आवेदन पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य पाया जाता है। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:38:29 IST
Reason: Self Attested

M

**FORM NO.III**

APP-A
Crim-1

# फर्द अहकाम

**(नियम–26)**

जज अदालत SDO मुकाम बुहाना

सुल्तीचंद आदि बनाम आनीलाल आदि

किस्म मुकदमा 212 RTA मुकदमा नम्बर 53/21 सन,

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मय इनिशियल्स जज | नम्बर व अहकाम हुक्म की मे जारी |
|---|---|---|
| | **आदेश**<br><br>अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।<br><br>निर्णय आज दिनांक 6-1-22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्रांकित कर इजलास सुनाया गया<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan<br>Date: 2023.03.10 11:38:29 IST<br>Reason: SelfAttested<br><br>(सुनील कुमार चौहान)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>एवं पदेन सहायक कलक्टर<br>बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.) | |